न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या–83/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/85

अपीलान्ट :–

भंवर सिंह पुत्र भोजराज सिंह जाति राजपूत निवासी मंगल सिंह नगर, खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. उम्मेद सिंह पुत्र भोजराज सिंह जाति राजपूत निवासी मंगल सिंह नगर, खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती अणच कंवर पत्नी भोजराज सिंह जाति राजपूत निवासी मंगल सिंह नगर, खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. ग्राम पंचायत खिरजा खास जरिये सरपंच, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश कमांक 6742/2023 दिनांक 29.09.2023 को तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बांवरला (अपीलान्ट की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री पारसमल सोनी (रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी (रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से)

निर्णय **दिनांक : 23.09.2025**

1. यह अपील तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमांक भू.अ/रा.शि./2023/6742 दिनांक 29.09.2023 से किए गए कृषि भूमि का आपसी सहमति से किए गए बंटवारा, अंतर्गत धारा 53 (2) के विरुद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में दिनांक 29.12.2023 को राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत पेश की गई थी, जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 23.07.2024 को प्राप्त होने से दर्ज रजिस्टर की गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–01 उम्मेद सिंह की ओर से श्री पारसमल सोनी व श्री देवेंद्र सोनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रत्यर्थी संख्या–02 अणच कवंर की ओर से श्री भंवर लाल चौधरी व श्री सतीश चंद्र अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया। श्रीमती अणच कंवर की ओर से क्रॉस अपील भी पेश की गई, जिसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी गई।

3. अपील मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसं प्रकार है कि ग्राम मंगल सिंह नगर का खसरा नंबर 1118 रकबा 6.5073 हैक्टर, ख.स. 851, रकबा 0.8741 हैक्टर तथा ग्राम खिरजा खास का खसरा संख्या 921 रकबा 1.4650 हैक्टर उम्मेद सिंह, भंवर सिंह पुत्र भोजराज सिंह तथा ग्राम पंचायत खिरजा खास की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। उक्त आराजी का आपसी सहमति से विभाजन तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 29.09.2023 को किया जाना बताया है, जो प्रत्यर्थी–1 उम्मेद सिंह द्वारा अपीलांट की जानकारी के बिना ही तहसीलदार के समक्ष पेश करके कराया है तथा आपसी सहमति के बंटवारा इकरारनामा पर अपीलांट ने कभी भी हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान नहीं किया है, बंटवारा की संपूर्ण कार्यवाही हल्का पटवारी व प्रत्यर्थी–1 उम्मेद सिंह द्वारा आपराधिक साजिश रचकर मिली भगत कर की गई है। बंटवारा मौके पर वास्तविक कब्जे की बिल्कुल विपरीत किया गया है। बंटवारा मिट्स एवं बाउंड्स के आधार पर नहीं किया गया है। बंटवारा के प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा राजस्थान टिनेंसी (राजस्व मंडल) नियम, 1955 के नियम–18 से 21 तक में दी गई व्यवस्था अनुसार तैयार नहीं किया है तथा बंटवारा से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का नोटिस ही नहीं दिया गया है। तथाकथित बंटवारा– नाप और सीमांकन के आधार पर नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी–1 ने अपनी सुविधानुसार बंटवारा करवाया है। बंटवारा दस्तावेज का पंजीयन नहीं करवाया गया है। अतः आक्षेपित बंटवारा अपीलांट के हितों व अधिकारों के विरुद्ध शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2023 को निरस्त किया जावे।

4. प्रत्यर्थी–2 अणच कंवर की ओर से क्रॉस अपील पेश कर कथन किए है कि खसरा नंबर 1118 रकबा– 6.5073 हैक्टर, खसरा नंबर 851 रकबा–0.8741 हैक्टर, ग्राम खिरजाखास तथा खसरा नम्बर 921 रकबा–1.4650 हैक्टर, ग्राम– खिरजाखास में श्री भोजराज सिंह की खातेदारी में आई हुई थी। श्री भोजराज सिंह का स्वर्गवास

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

होने पर फोतेदगी म्यूटेशन संख्या 275 सिर्फ अपीलांट भंवर सिंह व प्रत्यर्थी–1 उम्मेद सिंह के नाम ही दर्ज किया गया। प्रत्यार्थी–2 अणच कंवर, स्वर्गीय भोजराज सिंह की पत्नी थी, जो प्रथम श्रेणी की वारिश होते हुए भी, उसका नाम म्यूटेशन में ग्राम पंचायत खिरजा द्वारा दर्ज नहीं किया गया जबकि वादग्रस्त आराजी मे प्रत्यर्थी–2 का भी 1/3 हिस्सा है। नामांतरकरण संख्या 275 के खिलाफ न्यायालय उपखंड अधिकारी शेरगढ़ में अपील पेश की गई है। अपीलांट व प्रत्यर्थी–1 ने मिलावट करके, प्रत्यर्थी–2 की भूमि को हड़पने की नियत से आक्षेपित बंटवारा करवा लिया है, जिसमें उसे न तो पक्षकार बनाया गया न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। उक्त बंटवारा की जानकारी इस अपील का नोटिस प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी–2 को हुई है। क्रॉस अपील के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है तथा न्यायालय उपखंड अधिकारी शेरगढ़ में दायर अपील संख्या 12/2023 अणच कंवर बनाम भंवर सिंह वगैरा का अपील मीमो की प्रति में आदेशिका दिनांक 22.12.2023 से 21.02.2025 तक की प्रति भी पेश की है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला ने अपील मेमो में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बंटवारा करने में अपीलांट की सहमति नहीं ली गई है। प्रत्यर्थी–1 व पटवारी ने उसे नहीं बताया कि बंटवारे के कागजात पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। अपीलांट अनपढ़ व्यक्ति है केवल हस्ताक्षर करना जानता है। अनपढ़ होने का फायदा उठाकर अपीलांट के बातों बातों बंटवारा पर सहमति के हस्ताक्षर करवा लिए हैं। मौके पर बंटवारा अनुसार कब्जा नहीं है। वास्तविक कब्जे के विपरीत बंटवारा किया गया है।

धारा–53 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बंटवारा नहीं किया है तथा नियम–18 से 21 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। बंटवारा का पंजीयन होना आवश्यक है। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 1994 आरआरडी–567 व 1978 आरआरडी–664 का हवाला दिया तथा कथन किया कि पंजीयन के बिना बंटवारा शून्य, वह अवैध होता है, बंटवारा में लगान का भी विभाजन करना होता है, जो नहीं किया गया है। विभाजन पत्र में ऐसा नहीं किया है। बंटवारा के प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किए है तथा प्रस्ताव पटवारी। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी तैयार नहीं किया है। बंटवारा मनमर्जी से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

साइक्लोस्टाइल फार्म में, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किया गया है। अतः गैर कानूनी बंटवारा को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या–1 उम्मेदसिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री पारसमल सोनी ने, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त बहस का प्रत्युत्तर देते हुए तर्क दिया कि तहसीलदार के समक्ष इकरारनामा के जरिए– बंटवारा–आपसी सहमति से पेश किया जाने पर ही किया गया है, जिस दस्तावेज पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है। विद्वान अभिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी–संख्या–2 अणचकंवर का आक्षेपित बंटवारा के समय कोई हक, हिस्सा रिकार्ड में दर्ज नही था तथा वह आवश्यक पक्षकार नहीं थी। क्रॉस अपील–बिना किसी अधिकार के पेश की गई है जो संधारण योग्य नहीं है। जब तक प्रत्यर्थी–2 के अधिकारो का निर्धारण, सक्षम न्यायालय द्वारा नही किया जाता है, तब तक उसे क्रॉस अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार ही नही है।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर दिया है। बंटवाडा दिनांक 27.09.2023 को अपीलांट की उपस्थिति में हुआ है, बंटवारा पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा आराजी को 1/2 – 1/2 हिस्सों में बांटी है अपीलांट ने जानकारी की दिनांक का मनगढ़त गलत तथ्य अंकित करके निर्धारित की है तथा असंतोषजनक कारण होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे। अपीलांट व प्रत्यर्थी–2 ने आपस में दुरभिसंधि करके यह अपील पेश की है तथा अधीनस्थ न्यायालय में, प्रत्यर्थी–2 आवश्यक पक्षकार ही नहीं थी तथा पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर अपील अस्वीकार योग्य है। मौके पर अपीलांट व प्रत्यर्थी–1 का कब्जा बंटवाडा दस्तावेज अनुसार ही है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

8. प्रत्यर्थी–2 के विद्वान अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी ने क्रॉस अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व प्रत्यर्थी–1 ने आपसी मिलावट करके गलत विभाजन किया है। वाद ग्रस्त आराजी उसके पति भोजराज सिंह जी की खातेदारी में थी, जिसमें कानून अनुसार प्रत्यर्थी–2 का 1/3 हिस्सा है, जो कि विवादास्पद बंटवारा में उसे नहीं दिया गया है। म्युटेशन संख्या–275 की अपील एस.डी.ओ. कोर्ट शेरगढ़ में विचाराधीन है अतः आक्षेपित बंटवारा निरस्त किया जावे ताकि प्रत्यर्थी–2 को न्याय मिल सके ।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

9. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–1 का यह भी कथन है कि भोजराजसिंह के चार–वारिशान है, जिसमें अपीलांट भंवरसिंह, प्रत्यर्थी–1 उम्मेदसिंह, प्रत्यर्थी–2 अणच कंवर के अतिरिक्त– भोजराज सिंह की पुत्री बेबी कंवर है, परन्तु बेबी कंवर को आवश्यक पक्षकार नही बनाया है। अपील म्याद बाहर है तथा क्रॉस अपील भी म्याद बाहर है। अतः अपील खारिज की जावे।

10. हमनें पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर उस पर मनन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। प्रकरण से सम्बधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन कर, मार्गदर्शन प्राप्त किया। संदर्भित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

11. (a) इस अपील का मेरिट पर निस्तारण करने से पूर्व यह न्यायालय इस अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम विनिर्णित करना उचित समझता है। आक्षेपित विभाजन का आदेश तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 29.09.2023 को अपीलांट व प्रत्यर्थी सं. 1, उम्मेद सिंह व उच्छव कंवर, सरपंच ग्राम पंचायत, खिरजा खास के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2023 पर पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2023 को तहसीलदार शेरगढ को उक्त तीनों द्वारा पेश किया है। अपीलांट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश, अपीलांट की सहमति के बिना पारित किया गया है तथा उसकी जानकारी उसे किसी भी स्त्रोत से नहीं थी। दिनांक 29.11.2023 को हल्का पटवारी द्वारा बताने पर प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की उसे जानकारी हुई, उसी दिन आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश करने पर दिनांक 04.12.2023 को आदेश की नकल प्राप्त हुई। अतः जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार की जावे। यह अपील दिनांक 29.12.2023 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर को पेश होना अपील मीमों पर पृष्ठांकन किया गया है परंतु पृष्ठांकन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2024 को रिपोर्ट करने पर दिनांक 28.03.2024 को अपील दर्ज की गई है।

(b)प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर अभिकथन किये है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2023 को आपसी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सहमति से बंटवाडा करने पर पारित किया गया है। अपीलांट व प्रत्यर्थी 2 ने मिलीभगत करके, अपील पेश की है। बंटवाडा दस्तावेज पर तस्दीक अपीलांट ने तहसीलदार की उपस्थिति में करवाया है तथा उसके हस्ताक्षर है। इकरारनामा पर अपीलांट का फोटो लगा हुआ है। दिनांक 29.11.2023 को पटवारी से प्रथम बार जानकारी होने का कथन अस्वीकार है। अपीलांट को दिनांक 29.09.2023 से ही आक्षेपित बंटवाडा की जानकारी थी। अतः अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर, अपील को खारिज किया जावे।

(c)हमने प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों एवं उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा पूर्वोक्त वर्णित अनुसार दौराने बहस इस विवाद बाबत प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। अपील मीमों के पैरा सं. 3 में अभिकथन किया है कि पटवारी व प्रत्यर्थी 1 ने मिलीभगत कर काल्पनिक आधारों पर आपसी सहमति का बंटवाडा किया है तथा एग्रीमेंट की उसे कोई जानकारी नहीं है तथा न ही अपीलांट ने सहमति के बंटवाडे पर अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर किये है। अपीलांट अनपढ है। सिर्फ हस्ताक्षर करना जानता है। बंटवाडे की सारी कार्यवाही फर्जी व अवैध है। अपीलांट का यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी में प्रत्यर्थी 2 का भी हक हिस्सा है तथा उसे सुना ही नहीं गया है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार दिनांक 27.09.2023 को धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आपसी सहमति से सहखातेदारों के मध्य बंटवाडा स्वीकृत करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर भवंर सिंह, उम्मेदसिंह व सरपंच उच्छब कंवर के हस्ताक्षर है। अपीलांट का कथन है कि बंटवाडा के कागजात पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। जब दिनांक 29.11.2023 को पटवारी हल्का से आक्षेपित बंटवाडा की अपीलांट को जानकारी हो गई थी, तो अपीलांट्स को तुरंत ही फर्जी हस्ताक्षर करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पेश नहीं किया है।

अपीलांट का यह भी कथन नहीं है कि बंटवारा इकरारनामा पर उसके हस्ताक्षर धोखे से या छलकपट या अंधेरे में रखकर करवा लिये गये थे। इसी प्रकार दिनांक 29.11.2023 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से किस प्रकार हुई। इसका कोई विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। बंटवाडा नामा पर अपीलांट की फोटो लगी हुई है तथा इकरारनामा, प्रार्थना पत्र व संलग्न तीनों नक्शों पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट के हस्ताक्षर है जिसे फर्जी होना अपीलांट ने साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अपीलार्थी ने अपील को म्याद के अंदर लाने की दृष्टि से ही सुविचारित तरीके से दिनांक 29.11.2023 को पटवारी से प्रथम बार जानकारी होने का कथन किया है जो स्वीकार्य नहीं है तथा अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को संतोषप्रद ढंग से व साक्ष्य/सबूत से साबित नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित काल्पनिक तर्कों से यह न्यायालय सहमत नहीं है। प्रत्यर्थी 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों व प्रस्तुत तर्कों से यह न्यायालय सहमत है।

(d)माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने H. Guruswamy व अन्य बनाम A. Krishnaiah, सिविल अपील सं. 317 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2025 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अगर विलंब को पर्याप्त कारणों से स्पष्ट नहीं किया है तो प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता।

Held: Court must not start with merit of the case. First ascertain the bonafides of the explanation offered by the party seeking condonation. Own inaction for a long, it cannot be presumed to be non deliberate delay.

It is must to present dilatory tactics. Liberal approach, justice oriented approach and sunstantial justice should not be employed to frustrate or jettison the substantial law of limitation. It shows complete absence of judicial conscience and restraint. Issue of limitation is not merely a technical consideration, but is based on sound public policy and equity. 'Sword of Democles' cannot be kept hanging over the head of a litigant for an indefinite period of time.

(e) In Surendra G Shankar V/S Esque Finamark Pvt. Ltd.-Civil Appeal no. 928/2025, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा–

"When scope of appeal is limited to delay condonation, merits of the matter cannot be considered."

(f) In Basawraj and Anr. V/S Special Land Acquisition officer, (2013)14 SCC-81, Hon'ble Supreme Court has held that- "discretion to condone delay has to be excercised judiciously base upon the facts and circumstances of the each case. The expression 'Sufficient cause' as

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

occurring in section 5 of the Limitation Act, cannot be liberally interpreted if negligence, inaction or lack of bonafide is writ large, It was also observed that even though limitation may harshy affects rights of the parties but it has to be applied with all its rigours as prescribed under the statute, as the courts have no choice but to apply law as it stands and they have no power to condone delay on equitable grounds.

(f) उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन एवं विश्लेषण तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का मत है कि हस्तगत अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं कारण पर्याप्त व संतोषप्रद नहीं है तथा अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है तथा अपीलांट समय पर अपील पेश करने में भयंकर रूप से लापरवाह रहा है तथा विलंब शमन हेतु कारणों को स्पष्ट करने से असफल रहा है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है। परिणामतः प्रस्तुत अपील भी म्याद बाहर पेश होने से अस्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट म्याद बाहर पेश होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

12. (a)प्रत्यर्थी सं. 2 श्रीमती अणच कंवर पत्नी भोजराज सिंह की ओर से कोस अपील पेश की है, जिसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों यथा जमाबंदियां का अवलोकन किया। ग्राम मंगलसिंह नगर का ख.नं. 1118 रकबा 6.5073 हैक्टर, ख.नं. 851 रकबा 0.8741 हैक्टर, खाता सं. 41 अनुसार उम्मेदसिंह, भंवर सिंह पि. भोजराज सिंह तथा ग्राम पंचायत खिरजा खास की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम खिरजा खास का ख.नं. 921 रकबा 1.4650 हैक्टर उम्मेदसिंह, भंवर सिंह पि. भोजराज सिंह की खातेदारी में 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज है।

राजस्थान टिनेन्सी एकट 1955 की धारा 53(2)(i) के प्रावधानानुसार, सहखातेदार आपसी इकरारनामा से आराजी का विभाजन कर सकते है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 अनुसार सह आसामियों के बीच हुए करार (एग्रीमेंट) की शर्तो अनुसार, क्षेत्राधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा आराजी बंटवाडा का आदेश पारित किया जायेगा अर्थात् धारा 53(2)(i) के प्रावधान के अंतर्गत सिर्फ अधिकार–अभिलेख–जमाबंदी में अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य ही करार द्वारा आराजी विभाजन का प्रावधान है तथा करार अनुसार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तहसीलदार आराजी विभाजन का आदेश तीस दिन के भीतर लागू करने हेतु भी बाध्य है।

(b)प्रत्यर्थी 2 की ओर से कोस अपील पेश कर अभिकथन किये है कि ग्राम खिरजा खास के ख.नं. 1118, 851 व 921 की भूमि श्री भोजराज सिंह की खातेदारी में दर्ज थी। श्री भोजराज सिंह की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामांतरकरण सं. 275 ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ अपीलांट भंवर सिंह व उम्मेदसिंह के नाम ही दर्ज किया है। प्रत्यर्थी 2, भोजराजसिंह की पत्नी होने से वादग्रस्त आराजी में उसका भी 1/3 हिस्सा है तथा वह प्रथम श्रेणी की वारिस है परंतु म्यूटेशन में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है, जिससे व्यथित होकर उसने अपील उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के न्यायालय में पेश कर दी है, जो अभी विचाराधीन है। अपीलाधीन बंटवारा आदेश पारित करते समय, प्रत्यर्थी 2 को सुना ही नहीं गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील का नोटिस प्राप्त होने से अंदर म्याद कोस अपील पेश की जा रही है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2023 को अपास्त किया जावे। अपीलांट ने भी अपील मीमों के पैरा सं. 5 में उल्लेख किया है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है, जिसमें रेस्पोंडेंट सं. 02 का भी हक, अधिकार व कब्जा है, परंतु बंटवारा करते समय उसे नोटिस तहसीलदार ने नहीं दिया जो कि कानूनी रूप से आवश्यक था।

(c) प्रत्यर्थी सं. 1 श्री उम्मेदसिंह द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के साथ ही अतिरिक्त आपत्तियां दर्ज कराई है, जिसमें कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 व अपीलांट ने मिलीभगत करके यह अपील पेश की है। बंटवाडा के समय प्रत्यर्थी 2 खातेदार ही दर्ज नहीं थी तथा न ही किसी प्रकार से पक्षकार थी। फिर भी अपीलांट ने उसे प्रत्यर्थी 2 के रूप से किस वजह से पक्षकार बनाया है, इसका कोई अंकन नहीं है। इस प्रकार मिलीभगत से कुसंयोजन (Misjoinder) पक्षकार बनाकर अपील पेश की है, जो खारिज योग्य है।

अगर अपीलांट ने प्रत्यर्थी 2 को माता होने की वजह से ही पक्षकार बनाया है तो अपीलांट व रेस्पोंडेंट सं. 1 की एक बहन बेबीकंवर भी है उसे भी पक्षकार बनाना चाहिए था परंतु मिलीभगत करके अपील पेश की है। अतः कोस अपील भी खारिज की जावे।

(d)उक्त कथनों की पुनरावृति उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने दौरान बहस पेश किये है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(e)प्रत्यर्थी 2 की ओर से उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. 12/2023 के अपील मीमों एवं पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.12.2023 से 21.02.2025 तक की प्रतियां भी पेश की है।

(f)हमने कोस अपील मीमों में अंकित कथनों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी की नकलों, पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा विधि प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पूर्वोक्त उल्लेखित विवरण अनुसार ग्राम मंगलसिंह नगर के ख.नं. 1118 व 851 व ग्राम खिरजा खास के ख.नं. 921 की जमाबंदी में प्रत्यर्थी सं. 2 अणच कंवर का नाम सहखातेदार के रूप में अंकित नहीं है। धारा 53(2)(i) व नियम 18 के प्रावधानानुसार सिर्फ अभिलिखित सहखातेदारों के मध्य ही आपसी सहमति से आराजी विभाजन का आदेश पारित करने का अधिकार तहसीलदार को है। अतः प्रत्यर्थी 2 को बंटवारा का आदेश, पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं देना व नोटिस जारी करने का आरोप बेबुनियाद व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अस्वीकार है।

(g) दिनांक 27.09.2023 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय प्रत्यर्थी 2 अणच कंवर का जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं था तथा आज भी दर्ज नहीं है। प्रत्यर्थी 2 स्वयं ने कोस अपील में नामांतरकरण सं. 275 की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ में लंबित होना अभिकथित किया है तथा अपने कथनों के समर्थन में अपील मीमों व आदेशिकाओं की प्रतियां प्रकरण सं. 12/2023 की पेश की है। म्यूटेशन एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों, हको, हितो, आधिपत्य के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त लंबित नामांतरकरण की अपील में अंतिम रूप से अपीलेट न्यायालय ने विधिवत निर्णय भी पारित नहीं किया है तथा प्रत्यर्थी 2 ने अपने पक्ष में पारित किसी भी प्रकार के निर्णय या डिक्री की प्रति इस न्यायालय में पेश नहीं की है। इसी कारण से प्रत्यर्थी 2, तहसीलदार के समक्ष आवश्यक पक्षकार नहीं थी परंतु अपीलांट ने उसे प्रत्यर्थी 2 के रूप से पक्षकार संयोजित किया है तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यर्थी 2 को कोस अपील पेश करना अवसर देने की कोशिश की है, परंतु प्रत्यर्थी 2 ने इस कोस अपील को पेश करने से पूर्व सीपीसी की धारा 96 के तहत अनुमति प्राप्त करने का कोई प्रार्थना

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पत्र भी पेश नहीं किया है तथा न ही कोस अपील के मीमों में अपील पेश करने की अनुमति मांगी है। अतः आदेश 43 सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्यर्थी 2 को कोस अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपील मीमों में अंकित क्लेम के समर्थन में उसने कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है। अतः कोस अपील सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

(I)उपर्युक्त के अतिरिक्त यह कोस अपील दिनांक 05.11.2024 को इस न्यायालय में पेश की है तथा कथन किया है कि अपीलांट भंवर सिंह द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील को नोटिस प्राप्त होने से अंदर म्याद अपील पेश है। अपीलांट भंवर सिंह ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.09.2023 के विरूद्ध अपील दिनांक 29.12.2023 को पेश की है जिसके पैरा सं. 5 में प्रत्यर्थी सं. 2 अणचकंवर के अधिकारों का जिक किया है। इसी प्रकार अणचकंवर ने नामांतरकरण सं. 275 दिनांक 04.12. 1982 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ में दिनांक 22.12.2023 को अपील पेश की है, उक्त अपील मीमों के पैरा सं. छः (आधार) में कथन किया है कि दिनांक 21.12.2023 को पटवारी से संपूर्ण नकले प्राप्त करने पर नामांतरकरण में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी मिली। उल्लेखनीय है कि बंटवांडा दिनांक 29.09.2023 को किया गया, जिसका रिकॉर्ड में अमल दरामद दिनांक 21.12.2023 से पूर्व में ही हो चुका था। स्पष्टतः प्रत्यर्थी 2 को दिनांक 21.12.2023 को आक्षेपित बंटवारा दिनांक 29.09.2023 की जानकारी हो चुकी थी तथा नकले लेने के बाद ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में अपील सं. 12/2023 पेश की गई है। अतः दिनांक 05.11.2024 को प्रस्तुत कोस अपील निश्चित रूप से एक माह के बाद पेश की गई है जो स्पष्टतः म्याद बाहर है तथा देरी को क्षम्य करने हेतु धारा 5 म्याद कानून के अंतर्गत प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः कोस अपील म्याद बाहर पेश होने के आधार पर खारिज योग्य है।

आदेश

13. उपर्युक्त विवेचनानुसार व विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, अपील पेश करने हेतु निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत की जाने के कारण अस्वीकार की जाती है।
14. प्रत्यर्थी सं. 2 अणचकंवर द्वारा प्रस्तुत कोस अपील भी उपर्युक्त पैरा 12 में किये गये विस्तृत विवेचनानुसार व विश्लेषणानुसार अस्वीकार की जाती है।
15. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, शेरगढ को लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

16. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर